Adoption of tourist sites

*109. DR: NARAYAN SINGH MANAKLAO: Will the Minister of TOURISM AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether any proposal for the adoption of any tourist site in Rajasthan by Public Sector Undertaking for protection, conservation, development and maintenance is under consideration;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the existing arrangement available for generating sustained tourist interests in the tourist sites which are not properly conserved and upkept?

THE MINISTER OF TOURISM AND CULTURE (SHRI JAGMOHAN): (a) and (b) There is no proposal for giving any of the centrally protected monuments to any Public Sector Undertakings for protection, conservation and development in the State of Rajasthan.

(c) The monuments declared as of national importance are preserved, conserved, maintained and developed with tourist related amenities as per archaeological principles.

डा. नारायण सिंह मानकलाव : सभापति महोदय, मैंने अपने प्रश्न में पर्यटक स्थलों के बारे में पूछा था । पर्यटक स्थल एक बहुत ही विस्तृत टर्म हैं और उसके अतंर्गत मंत्री महोदय ने संरक्षित स्मारकों की बात कहकर मेरे प्रश्न को समेट दिया है जबकि मेरा प्रश्न पर्यटक स्थलों के बारे में है। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं जैसे घाना का पक्षी विहार है, रणथम्भौर की सेंक्चुरी है, सरिस्का की सेंक्चुरी है और भी कई स्थल है, जिन्हें पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित किया जा सकता है और पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। यह तो आपने फरमाया कि संरक्षित स्मारक है, यह तो निश्चित तौर सेarchaeology वाले करते हैं, आपके तहत ही होता होगा परंतु मुझे पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी चाहिए थी, जो आपने उपलब्ध नहीं कराई ।

श्री जगमोहन : आपने पूछा कि किसी ऐसे मॉन्यूमेंट को पब्लिक सेक्टर द्वारा ऐडॉप्ट करने का कोई प्रस्ताव है तो हमने कहा है कि ये जो प्रोजेक्टेड मॉन्युमेंट्स हैं, Legally, this can be done by the Archaeological Survey of India. About Rajasthan, I must say, there are a large number of items, which we have sanctioned. If there is a particular item about a particular place, you kindly write to us. We will consider that also.